

भारतीय गैर न्यायिक



दस

रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AE 293193




Handwritten signature or initials.

क्र. 13 दिनांक 11/11/2020 10:00
नाम इतिहास कृष्ण के अस्ता 108
पतेल - अना - फिरोज रोड अना कृष्ण
श्री. अना (अना जिला)
श. अ. अना 10 अना रोड अना



प्ररूप 26

(नियम 4क देखि)



शेरव खण्ड राजातल्ला निरवाचन-क्षेत्र से (निरवाचन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद
उत्तर प्रदेश (सदन का नाम) के निरवाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा
नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, जितेंद्र कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी राजवीर सिंह आयु 31 वर्ष,
जो ग्राम सखतल हंडी डाकघर लौरी चौक सहारनपुर (डाक का पूरा पता लिखें)
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निरवाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ
पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं स्वतंत्र ("राजनैतिक दल का नाम)द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी/
"एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 04 सहारनपुर (शाहजहाँ) (निरवाचन-क्षेत्र और राज्य का
नाम) में भाग सं० 222 के क्रम सं० 898 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 8859181010 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और नही
मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

(i) नही

(ii) नही

(iii) नही

(4) स्थाई खाता संख्या(पैन) और आयकर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति:-



क्र० सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
2.	पति / पत्नी नैहा	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
4.	आश्रित-1 संयम	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
5.	आश्रित-2 आरव	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं



1/11/2025

क्र० सं०	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
2.	पति / पत्नी नीहा	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
4.	आश्रित-1 संग्राम	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं
5.	आश्रित-2 आश्व	नहीं	नहीं	(i) नहीं
				(ii) नहीं
				(iii) नहीं
				(iv) नहीं
				(v) नहीं



1/12/25

6.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (i)
					नहीं (ii)
					नहीं (iii)
					नहीं (iv)
					नहीं (v)

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है" ।

(5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(6) दोषसिद्धि के मामले,-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है, लिखें)

या

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प

- (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला सख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रारिथति दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।



1/11/23

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में को प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए ।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए ।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए ।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है ।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं० 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा" ।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है ।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं ।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए ।


टिप्पण 4- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं ।

टिप्पण 5- प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं ।

टिप्पण 6- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं :

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	30,000/-	लागू नहीं	संयुक्त	आश्रित	
					नहीं	नहीं	लागू नहीं



(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	P.N.B. मिर्जापुर मिर्जापुर 6,912/-	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान / याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	स्पलेन्डर एलस 2014 UP11AU 1121 24,000/-	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
(vii)	जवरात बुलियन और वस्तु (आर और)	जवरात बुलियन 1,00,000/- सीना 2,50,000/- 3000gms. चांदी 15,000/-	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	



	मूल्य के ब्यौरे)						
Viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	1,80,912	2,95,000	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या आपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क0सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1 संग्रह	आश्रित-2 आरव	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं



Handwritten signature or mark.

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
कय के समय भूमि की		नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं



1/1/25

	लागत (कय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति अवस्थितियां - सर्वेक्षणसंख्या (संख्याएं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(Vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-


(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)



Handwritten signature

क्र०सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
			नहीं	नहीं	संयंत्र	आश्रित	
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या देय राशि, नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देयता	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	देयताओं का सकल योग	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं

(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है ? ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात :- (i) सरकारी आवास का पता:- _____ _____ _____ (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध संदेय नहीं है- (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार;	हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं) नहीं
------	--	--	--



Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

		(ग) जल प्रभार, और (घ)(तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए] टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवारा के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(iv)	आयकर शोध्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
		स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
			नहीं		अश्रित	आश्रित	
(v)	जीएसटी शोध्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(vi)	नगर पालिका/संपत्ति पर शोध्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(vii)	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(viii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं



12/1/13

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... राजदूरी

(ख) पति या पत्नी..... गृहणी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... राजदूरी

(ख) पति या पत्नी..... गृहणी

(ग) आश्रित के आय के स्रोत, यदि कोई हों..... नहीं

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं—

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... नहीं

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं..... नहीं

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है..... नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

इंटरमीडिएट 2008 सरस्वती इंटर कॉलेज लोहा सन्तलसिंह
30 प्रो प्राथमिक परिषद

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



1/1/15

(11) . भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कु जितेन्द्र कुमार				
2	डाक का पूरा पता		ग्राम सखलहेडी, डाकघर बहेडी दौधू, जिला महारनपुर				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		बैरह खण्ड विधानसभा क्षेत्र प्रदेश				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)		निर्दलीय				
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या		नहीं				
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।		नहीं				
7	स्थायी लेखा सं. (पैन)		वह वर्ष जिसके लिए आय-कर फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	नहीं	नहीं	नहीं			
	(ख) पति या पत्नी मेहा	नहीं	नहीं	नहीं			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(घ) आश्रित संयुक्त आश्रित	नहीं					
8	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपों में ब्यौरे						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,80,912/-	2,95,000/-	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियां	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	i	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की कय कीमत	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
	ii	कय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं




iii	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य-					
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
9	देयताएं					
i	सरकारी देय राशि (कुल)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
10	ऐसी देयताएं जो विवादाधीन हैं					
i	सरकारी देय राशि (कुल)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: इंटरमीडिएट 2008 सरस्वती इंटर कॉलेज वेहडा खण्डलसिंह उ० प्र० प्राथमिक विद्या परिषद (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय, शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:



1/1/15


(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8 और 10 में उल्लिखित आरित या देयता से गिन्न कोई आरित या देयता नहीं है।

आज तारीख 11/11/2020 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1. शपथ पत्र, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपरान्ह 3.00बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथारिथिति 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथ पत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0-एच-11019/04/2018-विधि-11 दिनांक 10.10.2018 और सं0-एच-11019/13/2016-विधायी 2 दिनांक 26.2.2019)



Identified by
Ad.